

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक-

पटना, दिनांक-.....2017

प्रेषक:

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार'

विषय:-मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास के समरूप नई योजनान्तर्गत ५० चम्पारण, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, कैमूर, औरंगाबाद, बांका, नालन्दा, सिवान एवं गया जिला के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में सामान्य प्रक्षेत्र एवं अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र के लिए ₹११३.९० लाख (एक करोड़ तेरह लाख नब्बे हजार) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक ५० चम्पारण, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, कैमूर, औरंगाबाद, बांका, नालन्दा, सिवान एवं गया जिला के सहकारिता एवं गैर सहकारिता प्रक्षेत्र के बुनकरों को नये करघे, कॉर्पस मनी, कर्मशाला निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में सामान्य प्रक्षेत्र एवं अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र के लिए क्रमशः ₹ ९७.३० (संतानवे लाख तीस हजार) एवं अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना हेतु ₹ १६.६० (सोलह लाख साठ हजार) अर्थात् कुल राशि ₹ ११३.९० लाख (एक करोड़ तेरह लाख नब्बे हजार) (संलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार) व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान करने की कृपा की है।

२. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष-२८५१-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-१०३-हथकरघा उद्योग, मॉग संख्या-२३, उप शीर्ष-०१०३-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड-P2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5438 में विषय शीर्ष २७ ०१ लघु कार्य, ५२ ०१ मशीनें एवं उपस्कर, ३३ ०१ सब्सिडी मद से उपबंधित राशि में से क्रमशः ₹ २.८० (दो लाख अस्सी हजार), ₹ ३०.७५ (तीस लाख पचहत्तर हजार), ₹ ६३.७५ (तिरसठ लाख पचहत्तर हजार) यानि कुल ₹ ९७.३० (संतानवे लाख तीस हजार) विकलित होगा। जिसके लिए आय-व्ययक वर्ष २०१६-१७ में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

राशि मुख्य शीर्ष-२८५१-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-७८९- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-२३, उप शीर्ष-०१०४-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड-P2851007890104, राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5438 में विषय शीर्ष ५२ ०१ मशीनें एवं उपस्कर एवं २७ ०१ लघु कार्य मद से उपबंधित राशि में से क्रमशः ₹ १६.२० (सोलह लाख बीस हजार) एवं ४० (चालीस हजार) यानि कुल ₹ १६.६० (सोलह लाख साठ हजार) विकलित होगा।

३. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक-२५६१ वि०(२) दि०-१७.०४.९८ के कंडिका-०२ में दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा।

४. योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट-I के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता २०११ के नियम १७६ एवं १७७ का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

५. इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प सं० २००५ दिनांक-२०.०४.१२ तथा इस योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय द्वारा जारी की गई दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया एवं निदेशालय आदेश ज्ञापांक-१४९१ दिनांक-१०.०९.१३ द्वारा जारी संशोधित निर्धारित विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा दिये गये निदेश प्रभावी होंगे।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। कार्यान्वयन पदाधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी नये विहित प्रपत्र में BTC-42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को भेजने हेतु विभाग को उपलब्ध करायेगें।
7. यह राज्यादेश संचिक संख्या:-ह0क0(10)विविध-20/2016 के पृष्ठ 59/टि0 पर दिनांक-21.03.17 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसका डायरी संख्या-शून्य/OSD दिनांक -21.03.17 है।
8. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
अनुलग्नक-व्यय विवरणी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदा0, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र / उप विकास पदाधिकारी (गया) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1169

पटना, दिनांक- 23/03/2017

प्रतिलिपि:-व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार,पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/ आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास के समरूप नई योजनान्तर्गत प० चम्पारण, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, कैमूर, औरंगाबाद, बांका, नालन्दा,सिवान एवं गया जिला के सहकारिता एवं गैर सहकारिता प्रक्षेत्र के बुनकरों को नये करघे, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण (वित्तीय वर्ष-2016-17)

परिशिष्ट-I

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यान्वयन पदा०/निकासी एवं व्ययन पदा०	नये करघे क्रय करने हेतु					मार्जिन मनी			कर्मशाला निर्माण					कुल राशि (लाख में)	जिला कोषागार का नाम
			भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)			भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य		राशि (लाख में)				
			सामान्य प्रक्षेत्र	अनु० जाति प्रक्षेत्र	103 हस्तकरघा उद्योग	789 अनु० ज० के लिए विशेष घटक	योग	सामान्य प्रक्षेत्र	अनु० जाति प्रक्षेत्र	3301 सब्सीडी लघु शीर्ष 103 हस्त० उद्योग	सामान्य प्रक्षेत्र	अनु० जाति प्रक्षेत्र	103 हस्त० उद्योग	789 अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	प०चम्पारण I	महाप्रबंधक जि०उ०के०, प०चम्पारण	45	22	6.75	3.30	10.05	45	22	3.35	7	1	2.80	.40	3.20	16.60	प०चम्पारण
2.	कटिहार	महाप्रबंधक जि०उ०के०,कटिहार	40	22	6.00	3.30	9.30	40	22	3.10	-	-	-	-	-	12.40	कटिहार
3.	खगड़िया	महाप्रबंधक जि०उ०के०,खगड़िया	40	22	6.00	3.30	9.30	40	22	3.10	-	-	-	-	-	12.40	खगड़िया
4.	मुजफ्फरपुर	महाप्रबंधक जि०उ०के०,मुज०	40	22	6.00	3.30	9.30	40	22	3.10	-	-	-	-	-	12.40	मुजफ्फरपुर
5.	कैमूर	महाप्रबंधक जि०उ०के०,कैमूर	40	20	6.00	3.00	9.00	40	20	3.00	-	-	-	-	-	12.00	कैमूर
6.	औरंगाबाद	महाप्रबंधक जि०उ०के०,औरंगाबाद	✓	-	-	-	-	100	100	10.00	-	"	-	-	-	10.00	औरंगाबाद
7.	बांका	महाप्रबंधक जि०उ०के०,बांका	-	-	-	-	-	100	100	10.00	-	"	-	-	-	10.00	बांका
8.	नालन्दा	महाप्रबंधक जि०उ०के०,नालन्दा	-	-	-	-	-	100	100	10.00	-	"	-	-	-	10.00	नालन्दा
9.	सिवान	महाप्रबंधक जि०उ०के०,सिवान	-	-	-	-	-	100	100	10.00	-	"	-	-	-	10.00	सिवान
10.	गया	उप विकास पदा०(वस्त्र)गया	-	-	-	-	-	82	80	8.10	-	"	-	-	-	8.10	गया
कुल राशि			205	108	30.75	16.20	46.95	687	588	63.75	7	1	2.80	.40	3.20	113.90	

कुल राशि-113.90 (एक करोड़ तेरह लाख नब्बे हजार) रुपये।

क०प०उ०-2

103- हस्तकरघा उद्योग

विषय शीर्ष -	राशि
5201-मशीनें एवं उपस्कर-	30.75
3301- सब्सिडी-	63.75
2701-लघु कार्य-	2.80

97.30

789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना

विषय शीर्ष -	राशि
5201-मशीनें एवं उपस्कर-	16.20
2701-लघु कार्य-	.40

16.60

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, प्रटना।

11/23/3